GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 207/92

No.E(P&A)I-92/CPC/LE-3 New Delhi, Dated: 4.12.92

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(As per mailing list).

Sub: Simplification of rules and procedures relating to Leave Rules - Chapter V of I.R.E.C., Vol. I, 1985 edition.

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rules 525, 526 & 555 of the I.R.E.C., Vol. I, 1985 edition may be amended as in the advance correction slip No. 27 enclosed.

2. The President is also pleased to decide that even in the case of adoptive mothers who are Railway employees, the facility of leave of the kind due and admissible not exceeding one year without production of medical certificate as available to natural mothers in accordance with Rule 551 of I.R.E.C., Vol. I, 1985 edition, may be extended subject to the following conditions :-

(i) The facility will not be available to an adoptive mother already having two living children at the time of adoption;

(ii) The maximum admissible period of one year's leave of the kind due and admissible without production of medical certificate will be reduced by the age of the child, as in the following illustrations :

- If the age of the adopted child is less than one month, leave upto one year may be allowed;
- If the age of the child is six months, leave upto six months may be allowed;
- If the age of the child is 9 months or more, leave upto three months may be allowed. Thus the child would have the mother's individual attention for at least three months.

Contd.2/-...

3. These amendments/instructions will come into force immediately and issue with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Kindly acknowledge receipt.

DA: One

(A.C. BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT. (P&A),
RAILWAY BOARD

No.E(P&A)I-92/CPC/LE-3 New Delhi, Dated: 4.12.1992

Copy forwarded to the FA&CAO, All Indian Railways etc.

DA: One.

(A.C. BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT. (P&A),
RAILWAY BOARD.

No.E(P&A)I-92/CPC/LE-3 New Delhi, Dated:4.12.1992

Copy to the ADAI(Railways), N.Delhi, with 40 spares.

DA: One.

for Financial Commissioner/Rlys.

No.E(P&A)I-92/CPC/LE-3 New Delhi, Dated: 4.12.1992.

Copy forwarded to :-

Federations and Staff Associations (As per standard mailing list No.III).

DA: One.

for Secretary/Railway Board.

Copy to :-

PS to CRB, FC, ME, MM, MS, ML, Adv(Staff), Adv.(Finance) & Secretary.
Sr.PAs to EDPC, EDE, EDEB, EDF(B), EDE(N), EDE(IR), ED(PR) & EDPG.
PAs to DF(E), JDE(P&A), JDE(L), JDE(LL), JDE(D&A), JS(G), JS(E), DS(E), DS(G), DS(A), US(D&A)I & II, DDE(G), DDF(E)I, II & III, DDE(G)II.
E(P&A)II, PC III, PC IV, ERB-I, II, III, IV, E(O)I, E(O)II, III, CASH I, II, III, E(GC), Budget Branches, E(LR)I, F(E)I, II, III, Spl, A/Cs III (with 10 spares), A/Cs Inspection Cell (with 3 spares), E(G) (with 5 spares), E(W), E(NG)I, II, E(D&A), Code Revision Cell.

ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE I.R.E.C., Vol.I, 1985 edition.

Advance Correction Slip No. 27

The following amendments may be made to Rules 525, 526 & 555 of the I.R.E.C., Vol.I, 1985 edition:-

1. Rule 525 - Leave applicable to school staff

Rule 525 may be substituted as under :-

"525. Leave applicable to school staff-(1)(a) The leave account of a teacher, principal, headmaster, librarian, laboratory assistant or a waterman working in a railway school shall be credited in advance with Leave on Average Pay in two instalments of five days each on the first day of January and July, of every year.

(b) If a teacher, principal, headmaster, librarian, laboratory assistant or a waterman working in a railway school has availed of extraordinary leave and/or some period of absence has been treated as dies non during a half-year, the credit to be afforded to his leave account at the commencement of the next half-year shall be reduced by 1/30th of the period of such leave and/or dies-non subject to a maximum of five days.

(c) The credit for the half-year in which a teacher, principal, headmaster, librarian, laboratory assistant or a waterman working in a railway school is appointed/ ceases to be in service, shall be allowed at the rate of 5/6th day for each completed month of service which he had rendered or is likely to render in the half-year in which he is appointed/ceases to be in service.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), a Railway servant serving in a Railway school shall not be entitled to any leave on average pay in respect of the duty performed in any year in which he avails himself of the full vacation.

(3)(a) In respect of any year in which a Railway servant avails himself of a portion of the vacation, he shall be entitled to leave on average pay in such proportion of 30 days, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation:

Provided that no such leave shall be admissible to a railway servant not in permanent employ in respect of the first year of his service.

(b) If, in any year, the Railway servant does not avail himself of any vacation, leave on average pay shall be admissible to him in respect of that year under Rule 523.

Contd./-2...

EXPLANATION - For the purpose of this rule, the term 'year' shall be construed not as meaning a calendar year in which duty is performed but as meaning twelve months of actual duty in a Railway school.

NOTE 1.- A Railway servant entitled to vacation shall be considered to have availed himself of a vacation or a portion of a vacation unless he has been required by general or special order of a higher authority to forgo such vacation or portion of a vacation:

Provided that if he has been prevented by such order from enjoying more than fifteen days of the vacation, he shall be corsidered to have availed himself of no portion of the vacation.

NOTE 2.- When a Railway servant serving in a Railway school proceeds on leave before completing a full year of duty, the leave on average pay admissible to him shall be calculated not with reference to the vacations which fall during the period of actual duty rendered before proceeding on leave but with reference to the vacation that falls during the year commencing from the date on which he completed the previous year of duty.

NOTE 3.- The leave on average pay, if any, admissible under sub-rule(3) will be in addition to the leave on average pay admissible under sub-Rule(1).

(4) Vacation may be taken in combination with or in continuation of any kind of leave under these rules:

Provided that the total duration of vacation and leave on average pay taken in conjunction, whether the leave on average pay is taken in combination with or in continuation of other leave or not, shall not exceed the amount of leave on average pay due and admissible to the Railway servant at a time under Rule 523.

(5) The leave on average pay under this rule at the credit of a Railway servant at the close of the previous half-year shall be carried forward to the next half-year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half-year do not exceed the maximum limit of 240 days."

2. <u>Rule 526 - Leave on half average pay</u>

Sub-clause (a) of sub-Rule(1) of Rule 526 may be substituted with the following :

Contd. 3/-...

"(a) A railway servant, permanent or temporary, other than one who is serving in a railway school, shall be entitled to leave on half average pay of 20 days in respect of each completed year of service."

3. Rule 555 - Quarantine leave

Rule 555 may be substitued with the following :

"Deleted".

(Authority: Railway Board's letter No. E(P&A)I-92/CPC/LE-3 dated 4.12.1992).

******§§******

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बो ई सं॰207 /92

नई दिल्ली, दिनांक 4 ॰12॰1992

सं॰ई(पो एंड ए)1-92/सोपोसी/एलई-3

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि॰
(डाक सूची के अनुसार)॰

विषय:- छुट्टी नियमों से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण-
भा॰रे॰स्था॰सं॰, जिल्द I, 1985 संस्करण का अध्याय I/॰

संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जो निदेश देते हैं कि भा॰रे॰स्था॰संहिता, वाल्यूम I, 1985 संस्करण के नियम 525, 526 और 555 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्चा सं 27 के अनुसार आशोधित किया जाए॰

2॰ राष्ट्रपति जो यह भी निनिश्चय करते हैं कि भारतीय रेल स्था॰संहिता, वाल्यूम I, 1985 संस्करण के नियम 551 के अनुसार सगी माताओं को चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बगैर अधिक से अधिक एक वर्ष की जिस प्रकार की छुट्टी की सुविधा मिलती है और अनुमेय है, वह दत्तकग्राही माताओं जो रेल कर्मचारी हैं, के मामले में भी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बढ़ायी जा सकती है:-

(i) यह सुविधा उस दत्तकग्राही माता को उपलब्ध नहीं होगी जिसके पास दत्तकग्रहण के समय पहले ही दो जीवित बच्चे हैं;

(ii) चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बगैर एक वर्ष की अधिकतम अनुमेय अवधि की छुट्टी जिस प्रकार की छुट्टी प्राप्त है और अनुमेय है, वह नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार बच्चे की आयु के हिसाब से कम हो जाएगी:-

- यदि दत्तक बच्चे की आयु एक महीने से कम है तो एक वर्ष तक की छुट्टी की अनुमति दी जाएगी॰
- यदि बच्चे की आयु छह महीने है तो छह महीने की छुट्टी की अनुमति दी जाएगी;
- यदि बच्चे की आयु 9 माह या अधिक है तो तीन महीने की छुट्टी की अनुमति दी जाएगी॰ इस प्रकार बच्चे को कम से कम तीन माह के लिए,

.....2/-

मां को व्यक्तिगत देख-रेख प्राप्त हो सकेगी.

3. ये आशोधन/अनुदेश तत्काल प्रभावी होंगे और इन्हें रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

कृपया पावती दें.

अनुलग्नक: एक

(प्रतिहस्ताक्षरित)
(ए.सी. बक्शी),
संयुक्त निदेशक, स्था. (पी. एंड ए.),
रेलवे बोर्ड.

सं.ई(पी एंड ए)1-92/सोपोसो/एल ई-3 नई दिल्ली, दिनांक 4.12.1992

प्रतिलिपि विसमुलेधि, सभी भारतीय रेलों को प्रेषित.

(प्रतिहस्ताक्षरित)
(ए.सी. बक्शी)
संयुक्त निदेशक, स्था. (पी. एंड ए),
रेलवे बोर्ड.

सं.ई(पी एंड ए)1-92/सोपोसो/एल ई-3 नई दिल्ली, दिनांक, 4.12.1992

प्रतिलिपि भारत के अपर उपनियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक (रेलवे), नई दिल्ली को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित.

(हस्ताक्षरित)
कृते वित्त आयुक्त/रेलवे.

सं.ई(पी एंड ए)1-92/सो पो सो/एल ई-3 नई दिल्ली, दिनांक 4.12.1992

फेडरेशनों और स्टॉफ एसोसिएशनों को (मानक डाक सूची सं.III के अनुसार)

अनुलग्नक: एक

(के. के. अग्निहोत्री)
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

भा.रे.स्था.संहिता, वाल्यूम I, 1985 संस्करण के लिए अग्रिम शुद्धि पर्चा.

अग्रिम शुद्धि पर्चा सं. 27

भा.रे.स्था.संहिता, वाल्यूम.I, 1985 संस्करण के नियम 525, 526 एवं 555 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:-

I. नियम 525- विद्यालयों के कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी:

नियम 525 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाये:-

" 525, विद्यालयों के कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी-(1) (क) किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत अध्यापक, प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक , पुस्काध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा पानी पिलाने वाले की छुट्टियों के खाते में प्रति वर्ष दो बार में जनवरी और जुलाई महीने के पहले दिन पांच-पांच दिन का औसत वेतन अवकाश पहले से जमा किया जाएगा.

(ख) यदि किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत अध्यापक, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, पुस्तकाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक या पानी पिलाने वाले ने असाधारण छुट्टी ली है और/अथवा छः महीनों के दौरान अनुपस्थिति को कुछ अवधि अकार्य दिवस के रूप में समझी गयी है, तो अगले छः महीने शुरू होने पर उनके छुट्टी के खाते में दी जाने वाली जमा ऐसी छुट्टी की अवधि के 1/30 हिस्से और/अथवा अधिकतम पांच दिन के अकार्य दिवस तक कम कर दी जाएगी.

(ग) उन छः महीनों के लिए जमा जिसमें किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत् अध्यापक, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, पुस्तकाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक या पानी पिलाने वाले नौकरी में नियुक्त किए जाते हैं/नौकरी छोड़ देते है, तो उन्हें सेवा के प्रत्येक पूर्ण कर लिए गए माह जिसमें उन्होंने सेवा की थी अथवा उन छः महीनों में जिसमें वह नौकरी पर नियुक्त किया जाता है/नौकरी छोड़ देता है, उसके सेवा करने की संभावना है, के लिए 5/6 दिन की दर पर अनुमति दी जाएगी.

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन, किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत रेल कर्मचारी, किसी वर्ष में, जिसमें उसने स्वयं सारी छुट्टियां ले ली हैं, निष्पादित की गयी ड्यूटी के संबंध में किसी भी प्रकार के औसत वेतन अवकाश का पात्र नहीं होगा .

(3) (क) किसी वर्ष के संबंध में जिसमें कोई रेल कर्मचारी छुट्टी के एक भाग का स्वयं उपयोग कर लेता है, तो वह 30 दिन के ऐसे अनुपात में औसत

.....2/-

वेतन अवकाश पाने का पात्र होगा क्योंकि न ली गयी छुट्टी के दिनों की संख्या पूरी छुट्टियों से संबंधित होती है.

बशर्ते कि किसी भी रेल कर्मचारी को जिसे अपनी सेवा के पहले वर्ष में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया है, को इस प्रकार की छुट्टी अनुमेय नहीं होगी.

(ख) यदि किसी वर्ष के दौरान, रेल कर्मचारी स्वयं कोई छुट्टी नहीं लेता है तो उसे नियम 523 के तहत उस वर्ष के लिए औसत वेतन अवकाश अनुमेय होगा.

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए "वर्ष" शब्द का आशय कैलेंडर वर्ष के अर्थ के रूप में नहीं होगा जिसमें ड्यूटी निष्पादित की जाती है अपितु किसी रेलवे स्कूल में वास्तविक ड्यूटी के 12 महीनों से होगा.

नोट।- जब तक कि उच्च प्राधिकारी के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसी ऐसी छुट्टी या छुट्टी के एक भाग को छोड़ देना अपेक्षित न हो तब तक छुट्टी के लिए पात्र रेल कर्मचारी की छुट्टी या छुट्टी के एक भाग को उपयोग कर लिया समझा जाएगा.

बशर्ते कि यदि ऐसे आदेश द्वारा उसे पंद्रह दिन से अधिक छुट्टी लेने से रोका गया हो, तो यह समझा जाएगा कि उसने छुट्टी के किसी भागका उपयोग नही किया है.

नोट -2- जब किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत कोई रेल कर्मचारी ड्यूटी का वर्ष पूरा करने से पहले ही छुट्टी पर चला जाता है तो उसे अनुमेय औसत वेतन अवकाश की गणना छुट्टी पर जाने से पहले की गयी वास्तविक ड्यूटी की अवधि में आने वाली छुट्टियों के संदर्भ में नहीं की जाएगी वरन् उन छुट्टियों के संदर्भ में की जाएगी जो उस तारीख से शुरू होने वाले वर्ष के दौरान आती हैं जिस तारीख को उसने पिछले वर्ष की ड्यूटी पूरी कर ली है.

नोट-3- उप नियम (3) के अंतर्गत औसत वेतन अवकाश, यदि कोई अनुमेय है, तो वह उप-नियम (1) के अंतर्गत अनुमेय औसत वेतन अवकाश के अतिरिक्त होगा.

(4) छुट्टियां, इन नियमों के अंतर्गत आने वाली किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ या क्रम में ली जा सकती है.

बशर्ते कि औसत वेतन अवकाश चाहे किसी अन्य छुट्टी के साथ या उसके क्रम में लिया जाए अथवा नहीं परंतु छुट्टी की कुल अवधि और इसके साथ लिए गए औसत वेतन अवकाश नियम 523 के तहत रेल कर्मचारी को एक समय में देय और अनुमेय औसत वेतन अवकाश के कुल योग से अधिक नहीं होगा.

.....3/-

(5) पिछले छः महीने समाप्त होने पर इस नियम के तहत् रेल कर्मचारी के नाम में जमा औसत वेतन अवकाश इस शर्त के अध्यधीन अगले छः महीने में आगे ले जाया जाए कि इस प्रकार से आगे ले जायी गयी छुट्टी जमा छः महीने में दो गयी छुट्टियां 240 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हों"।

2. नियम 526- आधा औसत वेतन अवकाश।

नियम 526 के उप-नियम (1) के उप खंड (क) के बदले निम्नलिखित को पढ़ा जाए:

"(क) किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत रेल कर्मचारी के अलावा कोई रेल कर्मचारी जो स्थायी अथवा अस्थायी हो, सेवा के प्रत्येक पूर्ण कर लिए गए वर्ष के संबंध में 20 दिन के आधे औसत वेतन अवकाश को छुट्टी का पात्र होगा।

3. नियम 555-संगरोध छुट्टी।

नियम 555-के बदले निम्नलिखित को पढ़ा जाए:

" निकाल दिया गया"

(प्रमाणिक: रेलवे बोर्ड का दिनांक 4.12.92 का पत्र सं.ई (पी एंड ए) 1-92/सीपीसी/एल ई-3)
